तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
4/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तामिल पत्रिका पर MA पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। वादपत्र अवसर के आदेशिका तक वकील वादी के प्रतिवादीगण की तामिल नही करवाई गई। अतः वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।